न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 66/2022 – निगरानी

1. सुबान मोहम्मद आत्मज बनाम रहीम बक्ष मंसूरी निवासी बड़ला तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

1. ग्राम पंचायत बड़ला, जरिए सरपंच/सचिव बड़ला
2. रसुल मोहम्मद आत्मज सुबान मोहम्मद मंसूरी निवासी बडला तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत बड़ला, संकल्प सं0 05 पट्टा सं 26 दिनांक 08–07–2021

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – निगराकार की ओर से

निर्णय

दिनांक 22.04.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बडला में निगराकार के स्वामित्व व आधिपत्य अविभक्त पैत्रिक रिहायसी जायदाद स्थित है। उक्त जायदाद का राज0 पंचायती राज नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत, बड़ला द्वारा गैर निगराकार सं 02 के नाम पट्टा जारी कर दिया गया। ग्राम पंचायत, सुवाणा द्वारा पारित आदेश संकल्प सं 05 दिनांक 30.10.2021 एवं पट्टा सं 26 जारी दिनांक 01.11.2021 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य है। निगराकार एवं गैर–निगराकार सं 2 आपस में पिता–पुत्र हैं। वादग्रस्त पट्टा वाली जायदाद निगराकार के तन्हा मिल्कियत जायदाद है तथा उक्त जायदाद अविभक्त पैतृक जायदाद होने से निगराकार का ही हक होकर निवासरत एवं मालिक है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बड़ला ने गलत तौर पर बिना कोई जांच किए विधि विपरीत पट्टा जारी किया गया है जो निरस्तनीय है। किसी भी जायदाद को अन्तरित के दो ही माध्यम होते है। या तो जायदाद का विरासत ऑपन होकर जायदाद अन्तरित हो अथवा किसी रजिस्टर्ड डीड से अन्तरित होती है। किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बिना अन्तरण अधिकार के ही अवैध तौर पर बिना पंचायतीराज नियमों का अवलोकन किए राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाते

अति. जिला कलक्टर

किया गया है जो निरस्तनीय है। पंचायतीराज नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पिता के जीवनकाल में ही पैतृक जायदाद का पट्टा पुत्र के नाम जारी किया जावें। पंचायती राज नियमों 157 के तहत पुराना कब्जा साबित करना लाजमी हैं। पिता के जीवनकाल में ही उसका कब्जा 50 वर्षों पुराना माना जाएगा और कब्जे के आधार पर पिता के नाम पर जायदाद का पट्टा जारी किया जाएगा। गैर निगराकार सं 2 अपने निगराकार पिता को उक्त जायदाद से बेदखल करना चाहता है तथा निगराकार के मालिकाना हक व अधिकार एवं कब्जेशुदा जायदाद को गैर निगराकार सं 2 विक्रय करने का कोई हक अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। इस बाबत् निगराकार ने लिखित में अपनी आपत्ति गैर निगराकार सं 1 के यहां भी प्रस्तुत कर दी, लेकिन गैर निगराकार सं 1 ने अब तक उक्त विवादित पट्टे को निरस्त करने संबंधित कोई कार्यवाही संपादित नहीं की गई है। इस प्रकार गैर निगराकार सं 2 अवैध तौर पर निगराकार के मालिकाना हक की जायदाद का अवैध तौर पर पट्टा प्राप्त कर निगराकार को बेदखल करने एवं विक्रय करने पर आमादा है। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत ने निगराकार व सभी वारिसान को सुनवाई का उचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। गैर निगराकार सं 2 का उक्त जायदाद में केवल निगराकार के देहावसान के बाद शामलाती हक व हिस्सा ही है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, बड़ला द्वारा पारित आदेश पट्टा संकल्प सं. 05 दिनांक 30.10.2021 की पालना में पट्टा सं0 26 जारी दिनांक 01.11.2021 को खारिज फरमाया जाए।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि कार्यालय ग्राम पंचायत बडला के पत्रांक/ग्रा.पं.ब./2022/स्पे.1 दिनांक 30.05.2022 अनुसार प्रार्थी के पिता ने ग्राम पंचायत बडला में उपस्थित होकर अपने पुत्र के नाम जारी पटटे के संबंध में आपत्ति पत्र दिया हैं, और बताया कि उसके पुत्र ने बिना उनकी जानकारी में लाये ही पटटा बनवाया हैं, और उस पटटेशुदा भवन को बेचना चाहता हैं। ग्राम पंचायत बडला ने उक्त पत्र में प्रश्नगत पटटे का पंजीयन रोकने हेतु उप रजिस्ट्रार कार्यालय बडलियास को निवेदन किया है।

उक्त पत्रानुसार जाहिर होता हैं कि एक पुत्र ने अपने पिता के जायंदा रहते हुये एवं बिना पिता की सहमति के उक्त प्रश्नगत पटटा बनवाया गया है। उक्त पटटे के संबंध में निगराकार द्वारा उठाये गये कथनों के खण्डन में विपक्षी द्वारा कोई उजर ऐतराज नही किया गया एवं खण्डन स्वरूप न ही कोई साक्ष्य /दस्तावेजात प्रस्तुत किये

अति. जिला कलक्टर

हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि उक्त प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व पारित किया गया हैं।

पिता के जीवित रहते, पुत्र द्वारा बिना पिता की सहमति एवं शपथ पत्र के स्वयं के नाम पुश्तैनी पटटा बनाया जाना न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरूद्व जारी किया जाना प्रतीत होता हैं एवं इस प्रकार से जारीशुदा पटटा को खारिज किया जाना विधि सम्मत ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों की उल्लघंना कर गैर निगराकार संख्या 02 को विधि विरूद्व तरीके से जो पट्टा संख्या 26 दिनांक 08.07.2021 को जारी किया गया, वह प्रारम्भ से ही शून्य होने से खारिज होने योग्य ठहरता हैं, एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बडला को पुनः पुश्तैनी जायदाद एवं पिता, पुत्र एवं पूरे परिवार से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेजात का परीक्षण उपरांत पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के तहत नये सिरे से पटटा जारी किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित ठहरता हैं। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत बडला द्वारा जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 01.11.2021 को निरस्त किया जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बडला को रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत पटटा भूखण्ड की पुश्तैनी जायदाद एवं पिता, पुत्र एवं पूरे परिवार से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेजात का परीक्षण किया जाकर, पंचायतीराज अधिनियमों के नियमों के तहत पात्र व्यक्ति के नाम, नये सिरे से पटटा जारी किया जावे। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी एवं ग्राम पंचातय बडला पंचायत समिति कोटडी को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा